न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा,

राजस्व दावा संख्या 83/2019 — निर्णय दिनांक 05.12.2019

रामचन्द्र पुत्र लिच्छीराम जाति जाट निवासी बरसिंहसर तहसील व जिला बीकानेर।

.........वादीगण

बनाम

1. कुलदीप पुत्र रेडाराम जाति बिश्नोई निवासी रासीसर तहसील नोखा हाल निवासी टकी के पास ,तलवाड़ा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ । 2 लालचन्द पुत्र रेडाराम जाति बिश्नोई निवासी रासीसर तहसील नोखा हाल निवासी तलवाड़ा झील के पास तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ । 3 सतीशचन्द पुत्र शंकर लाल जाति भार्गव निवासी रासीसर तहसील नोखा हाल निवासी एक्स रे गली ,पी.बी.एम. हॉस्पीटल के सामने बीकानेर। 4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार नोखा ।

........प्रतिवादीगण

उपस्थित–

1. श्री पुरखाराम महिया अधिवक्ता वादी की तरफ से
2. प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही
3. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से।

दावा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दावा वादी के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि मुतनाजा जैर खेत खसरा नम्बर 110 तादादी 6.51 हैक्टयर, खसरा नम्बर 611 तादादी 2.06 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 612तादादी 0.91हैक्टेयर,खसरा नम्बर 74 तादादी 4.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 75 तादादी 6.10 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 777 तादादी 5.02 कुल किता 6 कुल तादादी 24.68 हैक्टेयर वाके रोही रासीसर बड़ा बास तहसील नोखा मे वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 कि संयुक्त खाते कि कृषि भूमि है। जिसमे वादी का 1/3 हिस्सा का खातेदार सह काश्तकार की भूमि है। आराजी जैर भूमि जो वर्तमान मे वादी एवम् प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त खाते की अविभाजित खातेदारी कृषि भूमी के रूप मे राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है प्रतिवादी हिस्सा के तौर पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज के अनुसार प्रतिवादी जयरायम पेशा व्यक्तियो के बहकावे मे होने के कारण विशेष भू–भाग अजनबी व्यक्ति को बैचने को आमदा है तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादी को बेदखल कर जबरन कब्जा करने की एलानिया धमकी दी गई है अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने की वादी मुश्त हक है। संयुक्त खाते की अराजी जैर दावा पर वादी ऋण वगैरह के जरिए आर्थिक संसाधन जुटाकर खेत में आधुनिक तरीके से खेती करना व खेत को अधिक फसल लायक बनाना चाहता है। किन्तु राजस्व रेकार्ड में संयुक्त खाता होने के कारण वादी अपनी भूमी पर ऋण वगैरह नही ले पा रहा है, इस कारण वादी ने प्रतिवादीगण कों कई बार कहा कि कचहरी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी * नोखा (बीकानेर) *

5/12

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

लगातार 2

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद संख्या 83/2019

चलकर सहमति सें खाते अलग करवालों। पहले तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, किन्तु दिनांक 22/07/19 को साफ इन्कार हो गए । यही तारीक बिनाय दावा, बिनाय मुखास्मत है जो वादी को प्रतिवादीगण के खिलाफ हासिल हुई । वादी का आराजी जैर दावा में वादी का 1/3 हिस्सा पर कब्जा काश्त है। वादी रेकार्डड सहकाश्तकार है, वादी आराजी जैर दावा का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड विभाजन करवाकर अपने कब्जा काश्त उत्तरादा पासा के हिस्सा को अलग करवाने व उसका खाता एवम् लगान अपने नाम से अलग कायम करवाने का मुश्त हक है। स्टेट ऑफ राजस्थान दावा हाजा में आवश्यक पक्षकार होने के कारण बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है । जिसके विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहा गया है। अतः दावा वादी पेश कर अर्ज है कि इसे स्वीकार फरमाया जाकर निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे। 1. यह कि चिरनिषेद्याज्ञा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण, आराजी, जैर, दावा खेत खसरा नम्बर 110 तादादी 6.51 हैक्टयर, खसरा नम्बर 611 तादादी 2.06 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 612तादादी 0.91हैक्टेयर,खसरा नम्बर 74 तादादी 4.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 75 तादादी 6.10 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 777 तादादी 5.02 कुल किता 6 कुल तादादी 24.68 हैक्टेयर वाके रोही रासीसर बड़ा बास तहसील नोखा मे स्थित है जिसमे वादी का 1/3 हिस्सा पर वादी के शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त मे कोई दखलन्दाजी नही करे, न वादी को बेदखल करे, न जबरन कब्जा करे, न ही विभाजन किये बिना विक्रय करे तथा ऐसा कोई फैल या तर्क नही करे जिससे कि वादी के हकूको पर बुरा असर पडता हो । 2. यह कि विभाजन बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर फरमाई जावे कि खेत खसरा नम्बर 110 तादादी 6.51 हैक्टयर, खसरा नम्बर 611 तादादी 2.06 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 612तादादी 0.91हैक्टेयर,खसरा नम्बर 74 तादादी 4.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 75 तादादी 6.10 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 777 तादादी 5.02 कुल किता 6 कुल तादादी 24.68 हैक्टेयर वाके रोही रासीसर बड़ा बास तहसील नोखा मे स्थित है जिसमे वादी का 1/3 हिस्सा का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किया जाकर, वादी का खाता व लगान वादी के नाम सें अलग कायम फरमाया जावें ।

5/12

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

लगातार 3

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद संख्या 83/2019

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। पेशी दिनांक 26.09.2019 को प्रतिवादी सं. 1 ता 3 बावजूद रजिस्टर्ड समन के उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने के आदेश प्रदान किये गये। आज 5.12.2019 को वकील वादी ने निवेदन किया कि मेरा दावा मात्र खाता विभाजन का है। बप्रतिवादी सं. 1 ता 3 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। मेरी वादगत भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्डस खाता विभाजन किया जावे।

निर्णय

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/अध्ययन किया, वकील वादी की इकतरफा बहस के तर्को पर मनन किया जिससे वादी का यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य पाया जाने पर वादी का यह राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 स्वीकार स्वीकार किया जाकर वादगत भूमि वाके रोही रासीसर बड़ा बास के खेत खसरा नम्बर 110 तादादी 6.51 हैक्टयर, खसरा नम्बर 611 तादादी 2.06 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 612 तादादी 0.91 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 74 तादादी 4.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 75 तादादी 6.10 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 777 तादादी 5.02 कुल किता 6 कुल तादादी 24.68 हैक्टेयर भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के हिस्से के अनुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तथा उनके कब्जा काश्त की स्थिति के अनुसार खाते का विभाजन प्रस्ताव करवाने एवं लगान पृथक–पृथक निर्धारण करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, नोखा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम 1955) के नियम 19 से 21 के तहत जोत के करार हेतु नियमानुसार सिद्धांतों का पालन करते हुए अभिलेख पर नक्शा बनाकर व उप विभाजित खेतों का अंकन पक्षकारों के खर्चे पर चिन्हित करना सुनिश्चित करते हुए वादीगण के कब्जे काश्त के अनुसार, वादीगण के खेतों में आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें। प्राथमिक डिकी जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

5.12.19

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी * नोखा (बीकानेर) *

Scanned with CamScanner

प्राथमिक डिक्री बमुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा

बईजलास रमेश देव आर.ए.एस.
रामचन्द पुत्र लिच्छीराम जाति जाट निवासी बरसिंहसर तहसील व जिला बीकानेर।
बनाम कुलदीप वगैरहा
दावा बाबत विभाजन
मुकदमा नम्बर 83/2019
निर्णय दिनांक 05.12.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से अधिवक्ता श्री पुरखाराम महिया, मिनजानिब मुदई प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही तथा स्टेट की ओर से पैरोकार राज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का यह राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 स्वीकार स्वीकार किया जाकर वादगत भूमि वाके रोही रासीसर बड़ा बास के खेत खसरा नम्बर 110 तादादी 6.51 हैक्टयर, खसरा नम्बर 611 तादादी 2.06 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 612 तादादी 0.91 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 74 तादादी 4.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 75 तादादी 6.10 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 777 तादादी 5.02 कुल किता 6 कुल तादादी 24.68 हैक्टेयर भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 के हिस्से के अनुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तथा उनके कब्जा काश्त की स्थिति के अनुसार खाते का विभाजन प्रस्ताव करवाने एवं लगान पृथ्क–पृथ्क निर्धारण करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, नोखा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम 1955) के नियम 19 से 21 के तहत जोत के करार हेतु नियमानुसार सिद्धांतों का पालन करते हुए अभिलेख पर नक्शा बनाकर व उप विभाजित खेतों का अंकन पक्षकारों के खर्चे पर चिन्हित करना सुनिश्चित करते हुए वादीगण के कब्जे काश्त के अनुसार, वादीगण के खेतों में आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक **05** माह **दिसम्बर** सन् **2019** को जारी किया गया।

(रमेश देव)
उपखण्ड अधिकारी,
नोखा

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0	योग	0
योग	0		

उपखण्ड अधिकारी,
नोखा

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2020.01.24 18:14:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: